समाज कल्याण विभाग
दिल्ली सरकार
विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्याः 141
प्रश्नकर्ताः श्री मोहन सिंह बिष्ट
दिनांकः 30.07.2021

क्या माननीय समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेगें कि:—

	प्रश्न	उत्तर
(क)	वर्ष 2021—22 में वृद्धावस्था / विधवा पेंशन हेतु कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई है तथा विधान सभा अनुसार कितने लोगों को वृद्धावस्था पेंशन देने का प्रावधान रखा गया है ;	वर्ष 2021—22 में वृद्धावस्था पेंशन हेतु कुल 1474 करोड़ रूपये की धनराशि निर्धारित की गई है । वर्तमान में विधान सभा अनुसार वृद्धावस्था पेंशन का कोई प्रावधान नही है । वर्ष 2021—22 के दौरान कुल 902 करोड़ रूपये विधवा पेंशन के मद में निर्धारित किये गये हैं । विधानसभावार विधवा पेंशन देने का कोई प्रावधान नहीं है । जितने भी आवेदन प्राप्त होते हैं तथा संबंधित जिला कार्यालय द्वारा स्वीकृत किये जाते हैं, उन सभी लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान विभाग द्वारा किया जाता है ।
(ख)	क्या सत्य है कि गत वर्ष समाज कल्याण विभाग द्वारा करावल नगर विधान सभा के अन्तर्गत अधिकतर लोगों के आवेदन पत्र या तो निरस्त कर दिये गये हैं या अभी तक लंबित पड़े हैं ;	गत् वर्ष में वृद्धावस्था पेंशन के आवेदन हेतु करावल नगर में कुल 500 फार्म जमा हुये जिनमें 423 फार्म स्वीकृत हुये हैं ।
(ग)	यदि हॉं, तो इसके क्या कारण है तथा इन लोगों की पेंशन कब तक चालू कर दी जायेगी, और	जिला कार्यालय उत्तर—पूर्व में वृद्धावस्था पेंशन का कोई भी फार्म लंबित नहीं है।
(घ)	वर्ष 2021—22 के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना कब से शुरू की जा रही है ।	वर्तमान में वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू है । किन्तु उक्त योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों की संख्या की क्षमता सीमा (Capping Limit) 5.30 लाख निर्धारित है । वर्तमान में पेंशन हेतु रिक्तियों की गणना की जा रही है। रिक्तियों के आधार पर नये आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे ।

27/07/21

Deputy Director (FAS)
Department of Social Welfare
Govt. of NCT of Delhi

Scanned by CamScanner